न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर०ए०एस०)

राजस्व वाद संख्या– 113/2018

1– पदमाराम पुत्र चोखाराम।
2– लिछमण पुत्र चोखाराम जातियान मेघवाल निवासी दुगस्ताऊ तहसील जायल जिला नागौर।

———वादीगण

बनाम

1– गेनाराम पुत्र शिवकरण जाति मेघवाल निवासी सिलनवाद तहसील लाडनूं।
2– श्याम पुत्र जगु
3– ओमा पुत्र जगु
4– कैलाश पुत्र जगु
5– शारदा पुत्री जगु जातियान मेघवाल निवासीगण दुगस्ताऊ
6– मूलाराम पुत्र गेनाराम
7– राजु पुत्र गेनाराम
8– दिपाराम पुत्र गेनाराम
9– घमण्डाराम पुत्र गेनाराम
10– पुखराज पुत्र गेनाराम जातियान मेघवाल निवासी बरनेल।
11– मोहनराम पुत्र देवकरण
12– पम्पूराम पुत्र देवकरण जातियान मेघवाल निवासीगण डेरोली।
13– चुकी पत्नि चोखाराम
14– इन्द्रा पुत्री चोखाराम
15– रामकंवरी पुत्री चोखाराम जातियान मेघवाल निवासीगण दुगस्ताऊ तहसील जायल
16– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

——— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–
1– श्री गोविन्दराम ढाका वादीगण की ओर से।
2– श्री रामप्रकाश बैदा प्रतिवादी सं. 01 से 14 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.08.19

वादी वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 से 05 व प्रतिवादी संख्या 13 से 15 एक परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 01 व 06 से 12 वादीगण के बहन के पुत्रगण है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलात की पुश्तैनी भूमि मौजा दुगस्ताऊ में खेत खसरा नं. 730 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खेत खसरा नं. 731 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 55 बीघा 14 बिस्वा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 15 आपसी पारिवारिक जुबानी बटवारा सम्वत् 2075 में कर लिया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. यह है कि वादी सं. 01 पदमाराम के हकहकूक, कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा नं. 730 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा में से 14.00 बीघा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
सम्पर्क कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

2. वादी सं 02 लिछमणराम के हकबंट, कब्जाकास्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा नं 730 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा मे से 13 बीघा 17 बिस्वा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

3. प्रतिवादी संख्या 01 चेनाराम के हकबंट, कब्जाकास्त व खातेदारी में वाके मौजा दुगस्ताउ मे खेत खसरा नम्बर 731 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा पूरा खेत व खेत खसरा न. 730 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा में से 01 बीघा 15 बिस्वा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क, ख, ग, घ व ड के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 से 15 की ओर से वकील श्री रामप्रकाश बैदा ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश किया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 से 15 की ओर से इनकी पहचान देकर इन की ओर से ईकबाली जवाब पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 से 15 के बीच सहमति होने के कारण वाद मे विवाद्यक बिन्दु तय नही किये गये। प्रकरण मे विद्वान अधिवक्ताओ वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण स. 01 से 15 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यो के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारो मे राजीनामा होने के कारण राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :-

1. यह है कि वादी सं. 01 पदमाराम के हकबंट, कब्जाकास्त व खातेदारी मे वाके मौजा दुगस्ताऊ के खेत खसरा न. 730 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा मे से 14.00 बीघा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी सं. 02 लिछमणराम के हकबंट, कब्जाकास्त व खातेदारी मे वाके मौजा दुगस्ताउ के खेत खसरा न. 730 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा मे से 13 बीघा 17 बिस्वा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 01 चेनाराम के हकबंट, कब्जाकास्त व खातेदारी मे वाके मौजा दुगस्ताउ मे खेत खसरा नम्बर 731 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा पूरा खेत व खेत खसरा न. 730 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा मे से 01 बीघा 15 बिस्वा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियो के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री फर्द भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)(एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी, जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)(एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी, जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner